कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय अधिनियम 2007, बजट दस्तावेजों, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार की गयी है।

अध्याय-1 वित्तीय लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2013 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति, प्रतिबद्ध व्यय की वास्तविकता के सापेक्ष बजट आकलन और ऋण प्रतिरूपों पर एक अंतर्दृष्टि के अलावा गैर-बजटीय माध्यमों से राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार (भा.स.) से सीधे हस्तांतरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करती है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी प्रस्तुत करने एवं आबंटित संसाधनों के सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

अध्याय-3 झारखण्ड सरकार के विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है।

इस प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से संग्रहित अतिरिक्त आँकड़ों का परिशिष्ट भी समाहित है। अंत में ***'परिशिष्ट 4.1'*** प्रतिवेदन में प्रयुक्त किये गये राज्य वित्त से संबंधित शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों की शब्दावली को प्रस्तुत करती है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा:-

- वर्ष 2012-13 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में वृद्धि ते.वि.आ. मानदंड 14.50 *प्रतिशत* के विरुद्ध 11.5 *प्रतिशत* रहा।
- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 1370 करोड़ था। स.रा.घ.उ. के राजस्व अधिशेष की प्रतिशतता 'मध्यावधि

राजकोषीय योजना लक्ष्य' के 3.32 के विरुद्ध 0.9 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 3406 करोड़) स.रा.घ.उ. का 2.2 *प्रतिशत* था जो तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों (तीन *प्रतिशत*) के अन्दर था।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण

- वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य बजट के बाहर भारत सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से वर्ष 2011-12 के ₹ 4194.42 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2621.91 करोड़ का हस्तांतरण राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को किया। अत: वार्षिक वित्त लेखे राज्य के संसाधनों का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्रस्तुत नहीं करते हैं। राज्य सरकार तथा महालेखाकार (ले. एवं हक.) को ससमय व्यय प्रतिवेदित करने हेतु मापदण्ड के अभाव में इन अभिकरणों द्वारा समरूप लेखांकन पद्धति का अनुकरण नहीं किया जाता है।

राजकोषीय असंतुलन एवं संसाधन जुटाने का प्रबंधन

- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 24,770 करोड़) में पिछले वर्ष से 10.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। तथापि, बजट आकलन की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7656 करोड़ रूपये से कम थी। राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व 47 *प्रतिशत* रहा जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 53 *प्रतिशत* रहा। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में पिछले वर्ष से आठ *प्रतिशत* की कमी हुई।

पूँजीगत व्यय

- वर्ष 2012-13 के दौरान, पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 3159 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4218 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता में वर्ष 2011-12 के 13 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान 15 *प्रतिशत* की बढ़ोत्तरी हुई।

राजकोषीय प्राथमिकता एवं व्यय प्रबंधन-

- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का राजस्व व्यय (₹ 23,400 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में 11 *प्रतिशत* बढ़ा। कुल व्यय का 83 *प्रतिशत* राजस्व व्यय के रूप में हुआ। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 15 *प्रतिशत* था। कुल राजस्व में

योजनागत राजस्व व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 36 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में 33 तक घटी। वर्ष 2012-13 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹ 15,657 करोड़) में 17 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और यह कुल राजस्व व्यय का 67 *प्रतिशत* रही।

- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थायीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता वर्ष 2011-12 के ₹ 4530.23 करोड़ से घटकर वर्ष ₹ 1427.25 करोड़ हुई।

विकास व्यय पर जोर

- वर्ष 2012-13 के दौरान, विकास व्यय की वृद्धि पिछले वर्ष के सापेक्ष 18.23 *प्रतिशत* थी। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 52 *प्रतिशत* थी जबकि विकासात्मक पूँजीगत व्यय सिर्फ 14 *प्रतिशत* थी। अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य सरकार ने शिक्षा एवं प्रक्षेत्रों को कम प्राथमिकता दी।

अर्पूण परियोजनाएँ

- मार्च 2013 के अनुसार ₹ 10 लाख से अधिक की लागत वाले 189 अपूर्ण परियोजनायें थी। इन परियोजनाओं में कुल ₹ 1972 करोड़ अवरुद्ध थे।

सरकार के निवेशों की समीक्षा

- 31 मार्च 2013 के अनुसार झारखण्ड सरकार ने सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों एवं समितियों इत्यादि में ₹ 187.82 करोड़ निवेश किया। वर्ष 2012-13 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2011-12 के ₹ 1.17 करोड़ के विरुद्ध ₹ 15 करोड़ था। निवेश में वापसी (7.99 *प्रतिशत*) उधार पर औसत ब्याज दर (8.76 *प्रतिशत*) की तुलना में कम था।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य की राजकोषीय दायित्व (₹ 34,869 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में 14 *प्रतिशत* बढ़ी। इस वर्ष राजकोषीय दायित्व ते.वि.आ. की सिफारिश के 28.7 *प्रतिशत* के सापेक्ष स.रा.घ.उ. का 22.2 *प्रतिशत* था। सरकार ने सभी ऋणों की मुक्ति के लिए निक्षेप निधि स्थापित नहीं किया।

बाजार उधार

- जब स.रा.घ.उ. से कुल लोक ऋण की प्रतिशतता वर्ष 2008-09 के 20.01 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012-13 में 16.07 *प्रतिशत* हो गयी, कुल दायित्व में बाजार ऋण की हिस्सेदारी वर्ष 2008-2009 के 24.80 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 33.77 *प्रतिशत* हो गई। नगद की तत्काल आवश्यकता का आकलन किये बिना राज्य सरकार ने पर्याप्त राशि होने के बावजूद ऋण लिया। ₹ 213 करोड़ का बाजार ऋण केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना लिया गया जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

- वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 9225.13 करोड़ की विशाल बचतें हुई जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत विशाल बचतें राज्य के विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विगत पाँच वर्षों में सतत बचतें 15 विभागों में पायी गयी।

- वर्ष 2012-13 के दौरान बजट उपबंधों से ₹ 1263.18 करोड़ अधिक व्यय किये गये जिसे भारत के संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-12 के दौरान किये गये ₹ 8540.79 करोड़ के अधिक व्यय को भी नियमित किया जाना शेष था।

- वर्ष 2012-13 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों ने विभागों के ₹ 23,400.20 करोड़ का व्यय (कुल व्यय का 76.71 *प्रतिशत*) एवं ₹ 14,641.32 करोड़ की प्राप्तियों (कुल प्राप्तियों का 48.78 *प्रतिशत*) को महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ समाशोधन नहीं किया ।

- विभाग में बजटीय-नियंत्रण के अभाव में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने बजट नियम पुस्तिका के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया।

वित्तीय प्रतिवेदन

- राज्य के संस्थाओं/निकायों द्वारा ₹ 4640.48 करोड़ के सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया गया, जिससे

राज्य सरकार इसके संचालन में दायित्व सुनिश्चित करने एवं कार्यकुशलता सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने से बाधित हुई।

- सरकार के विभागों ने अनुदानग्राही निकायों के लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किये। स्वायत्त निकायों के लेखे 'पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों' को राज्य विधान मंडल के समक्ष समयानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया।
- विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2000-13 की अवधि से संबंधित ₹ 5243 करोड़ राशि के बड़ी संख्या में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (24,583) 11 नवम्बर 2013 तक बकाये थे।
- वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन दिन पूर्व संक्षिप्त आकस्मिक बिल द्वारा आहरित ₹ 209.23 करोड़ की राशि व्यपगत होने से रोकने के लिए बैंक खाते में जमा किया गया। मार्च 2013 के अंत तक व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 2954.43 करोड़ की एक विशाल राशि शेष थी। चालू वर्ष के विधान मंडल द्वारा पारित बजट निधि को अगामी वर्ष में व्यय के लिए व्यक्तिगत जमा खाता में हस्तांतरण करना अनियमित था।